प्रस्ताव संख्या –**FP/UP/Approach/48833/2020**

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग, फतेहपुर

पत्रांक – 368 /27–4 फतेहपुर , दिनांक – 05 / 8 / 2021

सेवा में,

वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रयागराज वृत्त,
प्रयागराज।

विषय :– हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारर्पोरेशन लि0 कानपुर द्वारा फतेहपुर जनपद के अन्तर्गत फतेहपुर–जोनिहा मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के किमी0 स्टोन संख्या 14.200 के मध्य बांयी पटरी पर, गाटा संख्या 1502, ग्राम – असवार तारापुर, परगना – फतेहपुर, तहसील – फतेहपुर, जिला–फतेहपुर (उ0प्र0) में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण में प्रभावित 0.08047 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत कार्यालय, लखनऊ का पत्र संख्या 8बी / यू.पी. / 06 / 74 / 2021 / एफ.सी. / 1352 दिनांक 23.03.2021 एवं मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 2476 / 11–सी दिनांक 24.03.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रस्ताव में भारत सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा 1 बिन्दु की अपत्ति लगाई गयी है जिसका निराकरण कर निम्नानुसार आख्या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

क्र0सं0	अपत्ति	अनुपालन
1	If the permission for use of forest land for non-forestry purposes has been granted by State authority without prior approval of Central Government then action under section 3A and 3B of Forest Conservation Act, as may be applicable shall be taken against the authority causing diversion. A report with full details of violation shall be submitted by state Government on the recommendation of Forest Department to this office for conducting a formal enquiry in the matter	बिन्दु संख्या के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जनपद फतेहपुर के जिलाधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा चुका था। जिसके क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण ने रिटेल आउटलेट के निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया था। किन्तु प्रकरण संज्ञान में आने पर प्रयोक्ता अभिकरण के विरुद्ध रेंज केस संख्या – 48 / 2019–20 दिनांक 20.01.2020 को दर्ज किया गया तथा इस कार्यालय के पत्र संख्या 646 / 27–4 दिनांक 25.08.2020 द्वारा क्षेत्रीय वनाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा–20 के लिये भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाईन F.NO 11-42/2017 FC Date 29-01-2018 के क्रम में दण्डात्मक एन.पी.वी. का आकलन व उपरोक्त संदर्भित समस्त प्रमाण प्रस्ताव के साथ पूर्व में संलग्न किया गया है सुलभ संदर्भ हेतु प्रमाणित प्रति पुनः संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपरोक्तानुसार समस्त अभिलेख पांच प्रतियों में संलग्नकर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

प्रभागीय निदेशक
समाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर